मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2012 को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निकायों आदि पर डी0 पी0 एस0 के मद में बकाये राशि के समायोजन की प्रक्रिया निर्धारण हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः (सूची संलग्न)

1.0 अध्यक्ष एवं सदस्य(वित्त एवं राजस्व), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित जानकारियां दी गईः–

(i) पूर्व में मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों के पास बकाये डी0 पी0 एस0 की राशि को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण एवं उस पर देय सूद के विरूद्ध समायोजन किया जायेगा। सचिव (व्यय), वित्त विभाग के पत्रांक 717 दिनांक 01.09.2011 के द्वारा विद्युत प्रभार डी0 पी0एस0 राशि के समायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया। परन्तु, यह प्रक्रिया विभागों द्वारा डी0 पी0 एस0 का बजट प्रावधान, ऋण एवं देय सूद की राशि का विवरण क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं होने आदि के कारण सफल नहीं हो पायी। बोर्ड का 31.03.2012 तक विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों पर ₹ 785 करोड़ ऊर्जा मद में एवं ₹ 2950 करोड़ डी0पी0एस0 मद में बकाया है।

(ii) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के ट्रान्सफर स्कीम में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं इस पर देय सूद की राशि को नई कम्पनियों को हस्तान्तरित नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि ट्रान्सफर स्कीम के प्रभावी तिथि तक बोर्ड का सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थानों पर बकाये डी0 पी0 एस0 का समायोजन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के ऋण एवं सूद की देय राशि से किया जायेगा। प्रभावी तिथि के पश्चात् सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थान डी0 पी0 एस0 का भुगतान सामान्य उपभोक्ता की तरह B.E.R.C. के टैरिफ आदेश के अनुसार करेंगे।

(iii) दिनांक 31.03.2012 तक विभिन्न विभागों/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों पर ऊर्जा मद में बकाया राशि ₹ 785 करोड़ का भुगतान बोर्ड को करने हेतु बजट में प्रावधान कराया जाना है, जिसके लिए संबंधित विभागों से बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर अनुरोध किया गया है।

(iv) पटना विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों, कार्यालयों आदि के विरूद्ध दिनांक 31.03.2011 तक विद्युत बकाये की राशि ₹ 93.71 करोड़ (ऊर्जा मद में ₹ 39.17 करोड़ एवं डी0पी0एस0 मद में ₹ 54.54 करोड़) के भुगतान हेतु माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि लम्बित राशि का भुगतान एकमुश्त सरकार के द्वारा किया जाना है। इस संदर्भ में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है, बोर्ड का जो भी दायित्व होगा वह राज्य सरकार को वहन करना होगा, इसलिए वर्तमान में इस तरह की राशि का भुगतान नहीं कर पुनर्गठन के उपरान्त भुगतान के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में बोर्ड के ट्रान्सफर स्कीम में डी0पी0एस0 से संबंधित प्रावधान के आलोक मे पटना विश्वविद्यालय का ऊर्जा मद में बकाया राशि मात्र ₹ 39.17 करोड़ रह जाती है, अतः इसके भुगतान हेतु बजट में प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को अविलंब भेजा जाना आवश्यक है।

(v) होल्डिंग टैक्स के मामले में बोर्ड द्वारा बताया गया कि विभिन्न शहरी निकायों पर बोर्ड का दिनांक 31.03.2012 तक ऊर्जा मद में ₹ 322 करोड़ एवं ₹ 1320 करोड़ डी0पी0एस0 मद में बकाया है एवं पूर्व में ₹ 155 करोड़ का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रपत्र बोर्ड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित किया जा चुका है। प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग द्वारा यह बताया गया कि विभिन्न शहरी निकायों द्वारा होल्डिंग टैक्स के मद में करीब ₹ 300 करोड़ का बकाया बोर्ड पर है। इसमें पटना नगर निगम का ₹ 208 करोड़ का बकाया है, जिसमें सूद एवं पेनाल्टी की राशि भी शामिल है। बोर्ड द्वारा यह बताया गया कि जिस तरह डी0पी0एस0 की राशि को छोड़कर विभिन्न शहरी निकायों द्वारा सिर्फ ऊर्जा मद की राशि का भुगतान की बात की जा रही है, उसी तरह बोर्ड द्वारा होल्डिंग टैक्स का भी भुगतान सूद एवं पेनाल्टी की राशि को छोड़कर किये जाने का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।

(vi) बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया कि मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर लिमिटेड, बरौनी के पुनर्वास हेतु मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में दिनांक 29.02.2012 को उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्युत बकाये की राशि ₹ 266.55 करोड़ बिहार सरकार

द्वारा बोर्ड को दिये गये ऋण के विरूद्ध समायोजन करने के संबंध में उद्योग विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाना है।

2.0 विमर्शोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

(i) ट्रान्सफर स्कीम लागू होने की तिथि तक राज्य सरकार के विभागों/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बकाये डी0 पी0एस0 की अद्यतन राशि तथा राज्य सरकार के ऋण एवं सूद की बकाया राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखा में ही बनी रहेंगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दिये गये ऋण एवं उस पर देय व्याज से समायोजन किया जायेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा इन विभागों/प्रतिष्ठानों के कन्ज्यूमर लेजर से इस डी0 पी0 एस0 की राशि को हटा दिया जाएगा।

(ii) विभिन्न विभागों/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मात्र ऊर्जा मद में बकाये की राशि को नये डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी में ट्रान्सफर स्कीम लागू होने की तिथि से हस्तान्तरित किया जाएगा। प्रभावी तिथि के उपरान्त सभी विभागों/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा ऊर्जा विपत्र का ससमय भुगतान नहीं होने पर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा अन्य उपभोक्ताओं की तरह B.E.R.C. के टैरिफ आदेश के अनुसार डी0पी0एस0 की राशि भी वसूल की जाएगी। विभागों द्वारा विद्युत विपत्र का ससमय भुगतान नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार विच्छेदन की भी कार्रवाई की जाएगी।

(iii) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऊर्जा मद में बकाये की राशि के भुगतान हेतु बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर बजट में आवश्यक प्रावधान हेतु अविलंब कार्रवाई की जाए ताकि संबंधित विभागों द्वारा बोर्ड को ससमय राशि का भुगतान किया जा सके।

(iv) पटना विश्विद्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों के विरूद्ध ऊर्जा मद में बकाये की राशि ₹ 39.17 करोड़ के भुगतान हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान हेतु वित्त विभाग को अविलम्ब प्रस्ताव भेजा जाए।

(v) विभिन्न शहरी निकायों के विद्युत बकाये एवं होल्डिंग टैक्स के बकाये की राशि के भुगतान के संबंध में तुरन्त प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर बोर्ड एवं विभिन्न शहरी निकायों की संयुक्त बैठक की जाए और ऊर्जा मद एवं होल्डिंग टैक्स की मूल राशि का संयुक्त रूप से सत्यापन किया जाए। विभिन्न निकायों

के ऊर्जा मद में एवं होल्डिंग टैक्स के मूल बकाया राशि का समायोजन करने के उपरान्त जो राशि देय होगी उसे संबंधित निकाय अथवा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अदा किया जाएगा।

(vi) शहरी निकायों द्वारा बकाये डी0 पी0 एस0 की राशि (ट्रान्सफर स्कीम के लागू होने की तिथि तक) का भुगतान नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शहरी निकायों द्वारा भी होल्डिंग टैक्स पर लगाये गये सूद एवं पेनाल्टी को बोर्ड से नहीं लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(vii) मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉरपोरेश के विरूद्ध बकाये की राशि ₹ 267.55 करोड़ को ट्रान्सफर स्कीम लागू होने के उपरान्त बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तान्तरित किया जाए एवं नये डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी में यह राशि शून्य दर्शाई जाए। उद्योग विभाग द्वारा विद्युत बकाये की राशि का सामंजन ऋण से करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजकर राज्य सरकार से आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा सरकारी विभागों के बजट प्रावधान के अनुरूप विद्युत विपत्रों के अग्रिम भुगतान की व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया ताकि राज्य सरकार पर अनावश्यक डी0पी0एस0 का भार नहीं पड़े। वित्त विभाग स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ह०/–
(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 4-02/वि०वि०प्र०-29/01(खंड) 3025 *पटना, दिनांक* 17/7/12

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।